बिहार विधान-सभा-वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ७ सितम्बर, १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन रांची के सभा-वेश्म में बृहस्पतिवार, तिथि ७ सितम्बर, १९५० को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

गत पाँच वर्ष में प्रत्यक जिला बोर्डों को शिक्षा के लिए दिये गये रकम का ब्योरा

*३३। **श्री देवकीनन्दन प्रसाद :** क्या माननीय मन्त्री, स्वायत शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिला बोर्डों को शिक्षा के लिए पिछले पाँच वर्षों में दी गई रकम का सालाना ब्योरा क्या है ?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा : उत्तर मेज पर रखा जाता है। अगर आप इस पर पूरक प्रश्न पूछना चाहें तो इसे देख कर पीछे पूछ लीजियेगा।

That the provision of Rs. 5/- for "Ministers voted" be reduced by Re. 1/-.

I thereby wish to discuss the failure of ministers to fulfil definite promises made on the floor of the House during the last session to extend the rates of Government sponsored Committees relating to payment of Travelling Allowance of members of Committees appointed by the State Legislature.

मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने अपने किये हुए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। मिनिस्टर साहब ने कहा कि वे पूरा करेंगे लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। उन लोगों के पास Private-Secretaries भी हैं और वे अच्छी तरह हमलोगों के grievances को मिनिस्टर साहब के कानों तक पहुँचा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। "To deal with official and confidential work of Hon'ble the Chief Minister"—यही उनका काम है।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे यही जानना चाहता था कि आप जो कह रहे हैं वह संगत हो सकता है या नहीं ?

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : यह चूँकि ५) रु० का token demand है, इसलिए हमको हक है कि हम Ministers के मुतल्लिक जो रकम है उस पर बहस करें।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसको अनियमानुकूल (Out of order) मानता हूँ। अब इसके बाद ३६, ३७ और ३८ तीनों ही अनियमानुकूल हो गए। नं० ३९ को श्री सैयद अमीन अहमद पेश कर सकते हैं।

सचिवालय के पुनर्संगठन के कार्य में फिजूलखर्च

WASTEFUL EXPENDITURE IN THE WORK OF RE-ORGANISATION OF SECRETARIAT.

Mr. Saiyid Amin Ahmad : Sir, I beg to move :

That the provision of Rs. 5/- for "Civil Secretariat—Political and Appointment Departments" be reduced by Re. 1/-.

जनाब सदर, स्टेट गवर्नमेन्ट ने यहाँ भी एक I. C. S. Officer को Additional Secretary बनाया। किस काम के लिए ? इसके लिए कि वह यहाँ से तशरीफ ले जायँ लन्दन। अब आप का मुल्क आजाद हो गया और आजादी के काम को सीखने के लिए आपने उनको हवाई जहाज पर लन्दन भेजा कि वह वहाँ जाकर यह सीख आवें कि Bihar Secretariat का काम किस तरह re-organise किया जाय। सुनते हैं कि पुराने जमाने में बादशाह जब किसी मदद करना चाहता था तो गंगा में कितना हल्फा आता है इसको गिनने के

लिए मुलाजमत देते थे !

माननीय अध्यक्ष : शांति-शांति। यह सिर्फ extension का matter है। आप यह कह सकते हैं कि इतनी मुद्दत के लिए मंजूरी मिली थी। उसमें जो काम हुआ वह तशफ्फीबख्श नहीं है या उससे बेशी काम की जरूरत नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद : जी हाँ, यही कहना है। काम भी ऐसा हुआ है कि अब तक बिल्कुल छिपा हुआ है। उसको यह जाहिर नहीं करना चाहते हैं। एक ऐसा गुप्त काम वह कर रहे हैं, ऐसा secret काम है, और मालूम नहीं कब तक इसको वह करते रहेंगे और उसका नतीजा क्या निकलेगा ?

तीन ही महीने के लिए यह post पहले-पहल २३ जून १६४६, से sanction की गई। इसके बाद इसको २८ फरवरी, १६५० तक बढ़ाया गया। अब मेरे दोस्त ने खुद अपनी जिम्मेवारी से बढ़ा लिया और in anticipation of provision of funds इस काम को उन्हों ने किया है।

तो जनाब सदर, जो काम उनके सुपुर्द किया गया उसके लिए वह विलायत हवाई जहाज पर चढ़कर गए। वहाँ बेहतरीन से बेहतरीन होटल में ठहरे और उनका सारा खर्च बिहार की जनता देती रही। ठीक है, वह गए थे, इस पर सवाल हो चुका है, मैं इसको दुहराऊँगा नहीं। हम मान लेते हैं कि ३ महीने के लिए वह गए और अपनी आँखों से देख आये कि किस तरह से Secretariat का काम चलता है। फिर extension पर extension की क्या जरूरत है ? आप उनसे कह सकते हैं कि ६ महीने के public revenue को खर्च करने के बाद आप जो स्कीम पेश करना चाहते हैं उसे कागज पर रख दीजिए। फारसी में एक शेर है—

"कोह कन्दन व काह बर आ उर्दन"

यानी खोदा पहाड़ मगर निकली एक घास।

इतना रुपया इस काम में खर्च किया गया ; मगर अभी तक जो कारनामा पेश किया गया है उनका, वह सिर्फ यही है कि अग्रवाल साहब ने पेश किया suggestion कि किस तरह noting किया जाय file के ऊपर और उसको भी अभी Cabinet consider कर रही है।

तो जनाब सदर, इस काम में २७१०८) रु० इन्होंने खर्च कर दिया वगैर इस House के sanction के। मेरे दोस्त कहते हैं कि यह एक मामूली रकम है, उनकी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वह दिन करीब आ रहा है, घबड़ाइए नहीं ; जब एक-एक पैसे का हिसाब जनता आप से माँगेगी ; और आप इतनी रकम अभी वगैर एसेम्बली के हुक्म के भी खर्च कर डालते हैं।

तो जनाब सदर, इससे बढ़कर और waste of public funds क्या हो सकता है ?—Secretariat को re-organise करने के लिए एक अलग अफसर जाय और उसको २७००० रु० दिया जाय।

मेरे ख्याल में Ministers जो १५००) रु० माहवारी पाते हैं in addition to other allowances.........

माननीय अध्यक्ष : शान्ति-शान्ति। मिनिस्ट्रों के मुशाहरे की बात कहाँ से आई ?

श्री सैयद अमीन अहमद : ६ मिनिस्टर और ८ पार्लियामेन्ट्री सेकरेट्री को रखने की क्या जरूरत है अगर इस काम के लिए आप एक अफसर अलग २७०००) रु० देकर रखें ? आप को तो यह काम खुद करना चाहिए।

क्या आप Secretariat को Inspect नहीं करते हैं और उसके काम को नहीं देखते हैं ? हमारे Parliamentary Secretaries हैं जिनको कुछ काम नहीं है और सोये रहते हैं। उनको जगाइये और उनसे कुछ काम लीजिये। उन पर मुफ्त में क्यों पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हम हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि आप जनता के पैसे को पानी की तरह बहायें। आप ६ मिनिस्टर और ८ Parliamentary Secretaries हैं जो खुद Secretariat के re-organisation का फैसला कर सकते हैं। इस काम के लिए रुपया और अफसर माँगने की जरूरत नहीं है।

श्री सैयद जाफर इमाम : उनमें इस काम के लिए सलाहियत हो तब तो ?

श्री सैयद अमीन अहमद : अगर आप लोगों में सलाहियत न हो तो हमारे जाफर साहब को कैबिनेट में ले लीजिये।

श्री सैयद जाफर इमाम : पहले आप तो कैबिनेट में चलिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : अगर हम Cabinet में जायँगे तो आपको जरूर ले चलेंगे। (हास)

मेरे कहने का मतलब है कि इस बात की शिकायत सिर्फ Opposition की तरफ से नहीं' बल्कि Congress Benches की तरफ से भी है। उन लोगों की तरफ से भी इस पर Cut Motion पेश हुआ है। इस पर श्री शंकरनाथ और श्री जगन्नाथ सिंह का भी कट मोशन है। इस चीज को हाउस के हर मेम्बर wasteful समझते हैं। हम उनसे कहेंगे कि वे इस पर पार्टी लाइन पर वोट न देकर indepen dently वोट दें। अग्रवाल साहब पर २७ हजार रुपया खर्च हुआ लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस २७ हजार रुपये को हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर और अग्रवाल साहब को refund करना होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अग्रवाल साहब क्यों refund करेंगे ?

श्री सैयद अमीन अहमद : अच्छी बात है ; तो उनके बदले में आप ही दे दीजियेगा। इसके बारे में मैं इतना ही कह कर खत्म करता हूँ।

* श्री जगतनारायण लाल : जनाब सदर, मैं इस कट-मोशन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विरोध करते हुए इसके संबंध में कुछ कह देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि सरकार ने Secretariat के re-organisation के लिए एक अच्छे अफसर को United Kingdom भेज कर अच्छा काम किया है। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे अमीन अहमद साहब, जिनको आफिस के काम का तजरबा है, इस चीज का विरोध करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सरकार ने Secretariat में efficiency और किफायत-सारी लाने के ख्याल से उस देश में अपने एक अफसर को भेजा जो Parliamentary Affairs में सब से बढ़ा-चढ़ा हुआ है, और उसका यह काम अच्छा हुआ है। इस संबंध में मैं यह जरूर कहूँगा कि उन्होंने वहाँ जो तजरबा हासिल किया है उसे वे जल्द से जल्द कार्य-रूप में परिणत करें। मैं सरकार के इस काम का अनुमोदन करता हूँ। सेक्रेटेरियट में efficiency और किफायत-सारी लाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है वह एक अच्छा काम है और उसे जल्द से जल्द कार्य रूप में परिणत करना चाहिए।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : जनाब सदर,......

माननीय अध्यक्ष : समय कम है। आप जल्द खतम करने की कोशिश करें।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : यह अफसर वहाँ Secretariat re-organisation का काम सीखने के लिए भेजे गये थे। उनको वहाँ से आये हुए १॥ वर्ष हो गये मगर अभी तक कोई re-organisation की स्कीम बनी या नहीं, इसकी खबर हमलोगों को नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सैयद अमीन अहमद यह बात कह चुके हैं। आप उसे फिर मत दुहराइये।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : हमलोग अभी तक अंधेरे में हैं कि इस मामले में क्या हो रहा है। अभी एक ही चीज देखने में आयी है और वह यह है कि अब जो Civil list छपी है, उसके सफा में माननीय मंत्री लोग के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम माननीय मेम्बरों के ऊपर छापा हुआ है। नहीं मालूम, इसे किस criterion पर किया गया है। अगर Pay basis पर किया गया हो तो चीफ सेक्रेटरी का नाम, जिनका pay हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर से ज्यादा है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर छपना चाहिए। लेकिन जब ऐसी बात नहीं है तो मंत्री लोग के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम माननीय मेम्बरों के ऊपर छपे, यह इस समूचे हाउस के ऊपर slur है।

* माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

Re-organisation के बारे में क्या हो रहा है, इसका पता हमलोगों को नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : इसी को बतलाने के लिए तो यह मांग (demand) है।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : अभी तक हम लोगों को यह नहीं मालूम है कि Assembly से जो decisions हुए हैं, उन पर क्या action लिया गया है ?

माननीय अध्यक्ष : तो क्या आप उन पर रिपोर्ट चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : जी हाँ, हमलोग यह जानना चाहते हैं कि उन पर क्या action लिया गया है और House के decision को किस तरह से काम में लाया जाता है। सन् १६४७ में सरकार ने तमाम Fire-arms को sieze कर लिया।

माननीय अध्यक्ष : Fire-arms का जिक्र यहाँ इस समय करना अनियमानुकूल (Out of order) है। आप इसे नहीं कहें।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : I bow down to your ruling, Sir. Re-organisation का काम किस तरह से हो रहा है इसे सरकार बता देती तो बड़ा अच्छा होता। इतना ही कहकर मैं खत्म करता हूँ।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : जनाब सदर, इस मौके पर मैं हाउस को बताने की कोशिश करूँगा कि श्री अग्रवाल साहब विलायत से आए तो कौन-कौन काम किए और कौन काम बाकी है जिसके लिए उनकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। Secretariat के खिलाफ हमेशा से यह शिकायत है कि वहाँ red-tapism बहुत होता है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जब से काँग्रेस सरकार आयी तब से red-tape को हटा कर white-tape का इस्तेमाल कर रही है।

श्री सैयद अमीन अहमद : That is a sign of laziness and inefficiency.

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि Secretariat में red-tapism की शिकायत थी जिससे जल्द से जल्द Secretariat से order issue नहीं होता था। बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जिसमें उस काम को दुहराया जाता है और ऐसी फाइल पर नोटिंग होती है जिसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। इसलिए अग्रवाल साहब training के लिए U. K. में भेजे गये और वहाँ से आने पर उन्होंने जो काम किया उसको सुनकर आप मुग्ध हो जायँगे।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : कुछ कहें भी तो।

मानननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : वहां से आने के बाद उन्होंने पहला काम यह किया कि assistants को training देना शुरू कर दिया।

Noting करना कोई मामूली बात नहीं है। Secretariat Assistants के posts पर Graduates लिये जाते हैं लेकिन किस तरह से वह note put up करें इसके लिए उन्हें training की जरूरत है ताकि माकूल note लिखें और जल्द से जल्द files Secretary या मिनिस्टर के पास भेज दें जिससे फौरन order पास हो जाय। इसके लिए उनको training देना शुरू किया गया है। अभी 30 Assistants को training दिया जा रहा है, कुल 700 Assistants को training दिया जायगा। अगर वे files को अच्छी तरह और quickly submit करें तो order भी जल्द issue होगा और इसमें economy भी हो सकती है।

Head of Departments से जब कोई reference Secretariat में आता है तो उस पर Assistants की noting होती है और उसके बाद Assistant Secretary, Under Secretary, Deputy Secretary और Secretary के पास file जाती है और उसके बाद Minister के पास file जाती है। इस तरह Government order pass होने में delay हो जाता है। इसका यह भी नतीजा होता है कि Heads of Departments के आफिस में जो चीज एक मर्तबा deal किया गया वही दोबारे Secretariat Departments के Assistants भी deal करते हैं। इसमें वक्त बहुत बर्बाद होता है और खर्च भी बढ़ता है। आप जानते हैं कि बहुत जमाने से Secretariat red-tapism के लिए बदनाम रहा है। इन शिकायतों को दूर करने के लिए एक नया तरीका अख्तियार किया गया है और इसको experimental basis पर सिर्फ चार Departments में जारी किया गया है। वे हैं—Transport, Medical, Public Works & Public Health Departments। नया तरीका यह है कि Heads of Departments से जो कागजात Secretariat में आयेंगे उन पर Assistants का noting नहीं होगा और वे कागजात सीधे Secretary deal करेंगे और Government order ले कर file को फिर Head of Departments concerned के पास भेज दिया जायगा।

एक काम और अग्रवाल साहब कर रहे हैं। Secretariat Instructions को वह revise कर रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि Secretariat Instructions, Secretariat के काम करने के तरीके का एक Code है। इसका एक revised edition छपवा कर हर एक Department में भेज दिया गया है और उनका comments इस पर मांगा गया है। जब comments आ जायगा तो उसी के light में जरूरी रद्दोबदल किया जायगा।

इन्हीं चन्द कामों के लिए अग्रवाल साहब के post को extend किया गया

है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अमीन अहमद साहब इन सब बातों को सुनकर अपने एतराजात को वापस ले लेंगे।

(मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश)

श्री सैयद अमीन अहमद : जनाब सदर, सच्ची बात किसी के छिपाये नहीं छिप सकती। और आज हमारे दोस्त ने इसको अपने तकरीर से साबित कर दिया है। मेरे दोस्त यह कहते हैं कि समय बदल गया है और काम बहुत बढ़ गया है। मेरे दोस्त ने दोनों चीजों को अपने तकरीर में इस House को बतला दिया है। आज हम लोगों को आजादी मिल गई है, लेकिन इस आजादी का मतलब यह नहीं है कि सेक्रेटेरियट में काम करने के लिए विलायत में काम सीखने के लिए officers को भेजा जाय। यह चीज आपको मानना पड़ेगा कि अग्रवाल साहब ने एक निहायत ही अच्छा काम निकाल लिया है जिसको करते २ वे retirement के समय तक पहुँच जायँगे। साल में ३० क्लर्क को train करना उनका काम है और ७०० क्लर्क को इस रेट से train करने में २३ वर्ष लग जायगा। यही तो काम बढ़ने का नमूना है।

जनाब सदर, हमारे दोस्त ने यह भी कहा है कि Secretariat में red-tapism को उन्होंने खत्म कर दिया है। Red-tapism किस तरह से खत्म करते हैं, वह जरा सुन लिया जाय। पहले file को red-tape से बाँधा जाता था और मेरे दोस्त ने उसको बदल कर white-tape लगा दिया है। क्या यह white-tapism, जो आजकल देखने में आता है, red tapism से १०० गुना बदतर नहीं है? एक-एक सवाल का जवाब देने में मेरे दोस्त को एक-एक वर्ष लग जाता है; कभी २ यह भी सुनने में आता है कि 'file missing"—तो क्या यह red-tapism से बदतर नहीं है।

मेरे दोस्त ने कहा है कि Clerks लोग 'fresh from the College' आते हैं, और उनको noting में train करने की जरूरत होती है। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप Ministerial गद्दी पर बाहर से एकदम एकाएक नहीं पहुँच गये हैं? क्या आप को training मिलने की जरूरत नहीं थी? क्या मेरे दोस्त यह नहीं जानते हैं कि Secretariat में ५०० क्लर्क का recruitment एक साल में नहीं होता है? कायदा तो यह है कि जो Senior clerks रहते हैं वे junior को train करते हैं। सिर्फ noting का काम सिखाने के लिए एक Senior I. C. S. Officer को मोटी तनख्वाह देकर रखने की जरूरत नहीं है। यह सभी लोग जानते हैं कि स्कूल से ही Substance, Summary और Precis-writing लड़कों को सिखाया जाता है। अगर आपके University के Students Graduate होने पर भी Summary और Substance नहीं लिख सकते हैं तो आप फौरन Univeristy को जो ग्रान्ट देते हैं, उसे बन्द कर दीजिए और Graduates की degree छीन लीजिए

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : आपकी degree का क्या होगा ?

श्री सैयद अमीन अहमद : मैं यहाँ की degree को surrender कर दूँगा, मगर Cambridge की degree तो रह ही जायगी।

मेरे दोस्त हमलोगों को जो economy सिखाते हैं वह सुनने के काबिल है। वे कहते हैं कि नीचे से जो noting होती है और उस पर Head of the Department की noting के साथ जब File Government में आती है तो उन्होंने यह economy हासिल किया है कि Government Department में फिर से नीचे से noting नहीं हो और सिर्फ Secretary के noting के साथ file मिनिस्टर साहब के पास भेज दी जाती है। इस मामूली बात को मिनिस्टर साहब ने इस तरह से कहा है कि as if he has introduced rigid economy. क्या इस सूबे को आपने "बारो" समझ रखा है ? और हमलोगों को बारो के रहनेवालों में समझ रखा है ? (हँसी)

इस मामूली चीज को भी आप ने सिर्फ चार ही Departments में introduce किया है और देखना चाहते हैं कि यह system किस तरह से work out करता है। क्या valuable system आपने introduce किया है !

दूसरा काम जो अग्रवाल साहब को आपने दिया है, वह है Secretariat Instruction को revise करना। यह तो एक Head Assistant का काम है और इसके लिए एक Senior I. C. S. Officer को हजारोंहजार रुपया देने की जरूरत नहीं है। हर Department से यह पूछा जा रहा है कि "how to reduce work ?" भला यह पूछने की चीज है ? यह तो Common sense की बात है। अगर आप लोगों में सब मिला-जुलाकर भी Common sense की इतनी कमी है तो सूबे में ऐसे लोग हैं जो आपको Common sense बख्श दे सकते हैं और free gift कर देना चाहते हैं जिससे आपका काम चल सकता है।

अब चार काम और बाकी है जिनके मुतल्लिक कुछ कहना है। एक है Advising Department--how to carry out orders. हमलोग यहाँ अल्लिफ लैला का किस्सा सुनने नहीं आये हैं। यह तो अजीब चीज है, Advising Department —how to carry out orders !

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : आपने शायद नहीं गौर किया— carry out "*these*" orders है।

श्री सैयद अमीन अहमद : अच्छा साहब, carry out *these* orders ही सही। अगर इस तरह से काम किया जायगा तो कोई काम हो नहीं हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष : अब आपका समय खत्म हो गया।

प्रश्न यह है कि :—

Provision of Rs, 5/-for "for Civil Secretariat —Political and Appointment Departments" be reduced by Rs. 1/—.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,34,339 over and above the provision in the Bihar Appropriation Act, 1950, as passed by the Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1951, in respect of "General Administration" for new schemes indicated in the Schedule at pp 6-11 of the Statement of Expenditure.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जेल तथा बंदी-निवेश

Jails and Convict Settlement.

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : I beg to move :

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 17,20,298 over and above the provision in the Bihar Appropriation Act, 1950, as passed by the Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1951, in respect of "Jails and Convict Settlement" indicated in the Schedule at pp 12-15 of the Statement of Expenditure.

This motion is made on the recommendation of His Excellency the Governor.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 17,20,298 over and above the provision in the Bihar Appropriation Act, 1950, as passed by the Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1951, in respect of "Jails and Convict Settlements" indicated in the Schedule at pp 12-15 of the Statement of Expenditure.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।